

## फर्द अहकाम

त्रिगाना आई.फि.डि.बनाम सरकार

आयालय  
उपाखण्ड अधिकारी जमवाराभगवत जमपुर  
ख्या 169/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
5/2/24	<p>पत्रावली पेश हुई व कील जायी 347। पत्रावली आदेश में किया गया है। पत्रावली का अपलोकन किया गया। तथा वकील जायी की वकालत का गनन किया गया। पत्रावली का अपलोकन करने व वकालत का गनन करने पर जायी का पत्रावली जायीना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राज० कारतकारी अधि० में अंकित भूमि की वर्तमान भूमि की किंमत और राजकीय भवन हेतु आरक्षित है। ऐसी स्थिति में पत्रावली आराजी है धारा 251A के जोखिम लागू नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में 251A द्वारा रक्षा इस नहीं है। अतः जायी का जायीना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राज० कारतकारी अधि० को बुलावगुणों के आधार पर जायित किया जाता है। निर्णय से इजलास सुनाया गया। पत्रावली केवल श्रावण हेतु नम्बर से कर है तथा वाद प्रति हेतु दाखिल कर है।</p>	

उप खण्ड अधिकारी  
जमवाराभगवत

चक्रवर्ती  
Raj -